कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–प.37(2060)गृरमु / पीएसएएल / 2020 / 11052-54 दिनाकः– 12 OCT 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स : निशा सपोर्टस सर्विसेज लाईसेन्स संख्या 722 / CDHG HQ (S-Cell)/2013 दिनांक 18.09.2013 वैद्यता 17.09.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण) द्वारा पूर्व लाईसेन्स अवधि (2013 से 2018) में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 का उल्लघंन करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक 4475 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब 06.03.2019 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें अनुज्ञाधारक द्वारा बताया गया कि भविष्य में सभी प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी। अभिकरण द्वारा नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं इसका निरीक्षण करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5326 दिनांक 21.04. 2020 द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर को पत्र जारी किया गया। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 09 व 10 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 20C6 के नियम 17 की पूर्ण पालना नहीं की जा रही है। अतः इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9270–73 दिनांक 03.09.2020 के द्वारा उक्त लाईसेन्स को एक माह के लिये निलम्बित किया जाकर कार्यालय पत्र क्रमांक पत्र कमांक 9274–75 दिनांक 03.07.2020 द्वारा अनुज्ञाधारक श्री हरकीरत साही को कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 18.09.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अभिकरण द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई अधिकतर अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है व वर्तमान में प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों व राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 20C6 के नियमों की पालना की जा रही है। अतः उक्त अभिकरण के लाईसेन्स 722 / CDHG HQ (S-Cell)/2013 दिनांक 18.09. 2013 वैद्यता 17.09.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण) को पुनः बहाल किया जाता है।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री हरकीरत साही पुत्र श्री परमजीत सिंह साही निवासी मकान नं–511, मगनम टॉवर, सेकण्ड कास रोड, स्वामी समर्थ नगर, लोखण्डवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी (वेस्ट) मुम्बई–400053 व कार्यालय पता 75, मरूधर विहार, होटल यश रेजिडेन्सी के पीछे, खातीपुरा, जयपुर को भेजकर लेख है कि 30 दिवस की अवधि में शेष रही कमियों को पूर्ण कर मय दस्तावेज रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन (अपलोड) करने बाबत।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर